

न्यायालय

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर

बनाम

जयपुर कलेक्टर जयपुर शहर

हानगा

/ 20

मुकदमा संख्या/वर्ष

जयपुर 1/2024

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	06/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी की बहस उपरान्त पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी को स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया तथा अप्रार्थी सं० 58 के अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को भारी कोस्ट के साथ स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित कानूनी दृष्टान्त पेश किया गया:-</p> <p>RRD 14.09.2017 (Savitri vs L.Rs. Patram) Page no. 602</p> <p>वकील उभयपक्षों की बहस व दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी को 2000/- रुपये की कोस्ट पर स्वीकार कर मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी सं० 2 का जवाब शेष है, जिसे प्राप्त होने पर मूल वाद में शामिल किया जावे तथा मूल वाद मंगवाने हेतु जिला अभिलेखागार रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर को तहरीर जारी की जावे।</p> <p>पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर फ़ैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ हमफीता हो।</p>	

Mansy
सहायक कलेक्टर (प्रशिक्ष) जयपुर शहर

